

समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा



श्रीमती पूनम, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार

☎ :- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
☎ :- +91-9473191375 फेक्स :- 06452230880
E-mail :- d.m.katihar.bih@nic.in

—: आदेश :-

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के CFMS Order No.—851, 853, 855 एवं 857/आ०प्र० दिनांक 03.05.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य वजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड-39-2245021010002 मद में मो० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रुपये, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010005 मद में मो० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रुपये, उपशीर्ष-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010006 मद में मो० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रुपये एवं उपशीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010007 मद में मो० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रुपये, विषय शीर्ष-37 01 एवं 35 01 नगद/ वस्तु, मांग संख्या-39 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन में से संलग्न सूची अनुलग्नक-1 के अनुसार संबंधित अंचल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने शीर्षवार अंकित राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि अग्नि से प्रभावित/पीड़ित परिवारों के बीच भुगतान की गई राशि के समायोजन एवं भुगतान विभागीय मानदर/सरकारी दिशा-निर्देशों के आलोक में करेंगे तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं करेंगे। यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दिनांक 25.03.2020 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 {वि०(2)} दि०-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होंगे।

आपदा प्रभावित परिवारों को देय की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ०प्र० दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०- यथोक्त।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 1267/आ०प्र० II-I & XVIII-12/2016-17, दिनांक 03/12/2019

- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Pr...

कटिहार जिलास्वतंत्र अंचलवार अखिल कांड से पीड़ित/प्रभावित परिवारों को भुजताब की बर्ह राशि का समावोजन एवं भुजताब हेतु शीर्ष-2245 के विभिन्न विभिन्न ईकाई भर के अंतर्गत उपावृत्त की जाने वाली राशि की विवरणी (वित्तीय वर्ष 2018-19 के अवशेष तथा 2019-20 के दौरान अद्यतन लाभुकों की संख्या)।

क्र०	अंचल का नाम	अग्रिम कांड से परिचय की संख्या	शीर्ष 2245-02-101-0002- आगान की आपूर्ति आग लगने से राहत कार्य के लिए (खाद्यान्न के बदले नगद राशि) अनुदान 39-2245021010002 विषय शीर्ष-37 01 नगद / वस्तु (@ 3000 प्रति परिवार)			शीर्ष 2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए अनुदान 39-2245021010005 विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (@ 3000 प्रति परिवार)			शीर्ष 2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए अनुदान 39-2245021010006 विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (@ 4100 प्रति परिवार)			शीर्ष 2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वन्यारि के लिए अनुदान 39-2245021010007 विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (@ 3800 प्रति परिवार)										
			बिमा से प्राप्त आदेश (CFMS Order No. (वर्ष 2019-20 के दौरान)	उपावृत्त राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावृत्त राशि	अवशेष राशि	बिमा से प्राप्त आदेश (CFMS Order No. (वर्ष 2019-20 के दौरान)	उपावृत्त राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावृत्त राशि	अवशेष राशि	बिमा से प्राप्त आदेश (CFMS Order No. (वर्ष 2019-20 के दौरान)	उपावृत्त राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावृत्त राशि	अवशेष राशि	बिमा से प्राप्त आदेश (CFMS Order No. (वर्ष 2019-20 के दौरान)	उपावृत्त राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावृत्त राशि	अवशेष राशि				
1	कटिहार	3			9,000.00			9,000.00			12,300.00					11,400.00						
2	हसनगंज	23			69,000.00			69,000.00			94,300.00					87,400.00						
3	उदुखौरा	0			-			-			16,400.00					15,200.00						
4	प्रणपुर	4			12,000.00			12,000.00			65,600.00					60,800.00						
5	मनसाही	16			48,000.00			48,000.00			90,200.00					83,600.00						
6	कोडा	22			66,000.00			66,000.00			1,55,800.00					1,44,400.00						
7	कलका	38			1,14,000.00			1,14,000.00														
8	कुसैला	0	15,00,000.00		-			8,79,000.00			15,00,000.00					6,51,300.00						
9	बाराही	0			-			-								15,00,000.00						
10	समेती	0			-			-			12,300.00					11,400.00						
11	मनिसाही	3			9,000.00			9,000.00														
12	अमदाबाद	0			-			-														
13	कदवा	0			-			-														
14	अजमनगर	17			51,000.00			51,000.00			69,700.00					64,600.00						
15	बारमाई	76			2,28,000.00			2,28,000.00			3,11,600.00					2,88,800.00						
16	बलरामपुर	5			15,000.00			15,000.00			20,500.00					19,000.00						
	कुल योग	207	15,00,000.00		6,21,000.00			8,79,000.00			15,00,000.00			8,48,700.00		6,51,300.00		15,00,000.00		7,86,600.00		7,13,400.00

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।